



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



के.आ./के.आ./सू.अ/2017/296

दिनांक : 13 अक्टूबर, 2017

श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा,
पुत्र श्री सियाराम मिश्रा,
निवासी - ग्राम परसवा,
पोस्ट - अस्ता, जिला - झांसी,
उत्तर प्रदेश - 284 202

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अक्टूबर, 2017 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से एमओपी द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ है वो पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सही तरीके से पढ़ने लायक पत्र (प्रतिलिपि) भेजे, जिससे हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब दे सकें।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

संलग्न : सभी संबंधित कागजात

प्रतिलिपि:

श्री अर्जुन राणा,
अवर सचिव
विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली - 110 011

RTI REQUEST DETAILS		
Registration No. :	PGCIL/R/2017/80099	Date of Receipt : 10/10/2017
Transferred From :	Ministry of Power on 10/10/2017 With Reference Number : POWER/R/2017/00330	
Remarks :	Application transferred under section 6 (3) of RTI Act, 2005.	
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	Language of Request : English
Name :	Bajesh Kumar Mishra	Gender : Male
Address :	Jhansi, Pin:284202	
State :	Uttar Pradesh	Country : Details not provided
Phone No. :	Details not provided	Mobile No. : Details not provided
Email :	Details not provided	
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	Education Status : Details not provided
Letter No. :	Details not provided	Letter Date : 19/09/2017
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status Indian
Amount Paid :	0 (RTI fee is received by Ministry of Power (original recipient))	Mode of Payment Details not provided.
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	Request Pertains to :
Information Sought :	Application attached subject matter is related to PGCIL	
Original RTI Text :	Application attached subject matter is related to PGCIL	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>		

22/10

Def (CP)

12/10

→ (MCP)

Pl. return to MoP as the subject letter is not legible & no reference to POWER/R/10/2017/00330

सं० 2-76/2017-आई सी टी

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 3.10.2017

कार्यालय ज्ञापन


विषय : श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, पुत्र/- श्री सियाराम मिश्रा, निवासी- ग्राम परसवा, पोस्ट- अस्ता,
जिला- झाँसी, उत्तरप्रदेश-284202 से प्राप्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई),
2005 के अंतर्गत पत्र सं. 136/आर. टी. आई./2017, दिनांक 28.09.2017 श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा
से प्राप्त आरटीआई अनुरोध के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिनियम 6(3) के तहत संबन्धित नोडल अधिकारी को आवेदक को सीधे सूचना भेजने के अनुरोध के साथ अद्योषित/हस्तांतरित किया जाता है।

2. चूंकि पत्र में जांगी गई सूचना का क्रम संख्या 1 एवं 3 पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय से और क्रम संख्या 2 विद्युत मंत्रालय से संबन्धित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिनियम 6(3) के तहत संबन्धित नोडल अधिकारी को आवेदक को सीधे सूचना भेजने के अनुरोध के साथ अद्योषित/हस्तांतरित किया जाता है।

3. यदि विषय आपके प्रभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित नहीं है तो यह आर टी आई आवेदन, आवेदक को अवगत कराते हुए विषय/ मामले से संबन्धित जन सूचना प्राधिकारी को सीधे हस्तांतरित किया जाए।

संलग्न : यथोपरि


(अरुण/कुमार सेंगुप्ता)
अवर सचिव (आई सी टी)
दूरभाष: 2382504

सेवा में,

1. सी. पी. आई. ओ., पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-011।
2. सी. पी. आई. ओ., विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-011।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, पुत्र/- श्री सियाराम मिश्रा, निवासी- ग्राम परसवा, पोस्ट- अस्ता, जिला-
झाँसी, उत्तरप्रदेश-284202।

US/RTI
E200695/2017/Adm

9/10/17

PGCIL


18/10/17

सूचना में

(सूचना-मांगना आरक्षण)

Section 19 / The RIGHT TO INFORMATION ACT-2005
[Act No. 22 of 2005.]

1-	आवेदन प्रेषित करने का दिनांक	19-9-2017
2-	सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम	श्री. सुभाष चंद्र शर्मा
3-	पूरा पता/ई-मेल/फोन नं० सहित, जिसे इसे का सूचना देनी चाहें	श्री. सुभाष चंद्र शर्मा, विधानी- नं० 7, पुराना पो. अरुण, विधानी- पिन नं०-004907
4-	चाही गयी सूचनाओं संलग्नकों का विवरण	78एफ 895/96 10/भा.भा.पो.31*
5-	सूचना शुल्क ₹10/का विवरण : करेंसी नकद/पोस्टल आर्डर/स्टांप/निःशुल्क	नकद/पोस्टल आर्डर/स्टांप/निःशुल्क भा.भा.पो.31*
6-	<p>नोट:- सूचना-मांगने वाले आवेदक को धारा-8 के परिच्छेदों में नहीं आती है। चांकी यही सूचना, उसे संलग्न हो अनुसार विधानी आरक्षण/अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित है। :-</p> <p>विधानी आरक्षण, पुराना पो. अरुण, विधानी- पिन नं०-004907</p>	

.....
आवेदक के हस्ताक्षर
19/9/2017

संबंधित प्राण्य :-

- (1) सूचना-मांगने वाले आवेदक को धारा-8 के परिच्छेदों में सूचना की दशा में संबंधित जानकारी के अभाव में उसे सूचना का प्राप्तिदिन के हिसाब से पनाल्टी /दिवागीय कार्यवाही की जा सकती है।
- (2) धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत अर्थ दंड एवं इजाजत का प्रादधान है।
- (3) धारा 7(9) के अंतर्गत सूचना उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए जिस प्रारूप में मांगी गई है।
- (4) धारा 7(9)(b) के अनुसार प्रतिक्रिया शुल्क हेतु विवरण संगणक सहित देना होगा।
- (5) धारा 8(क) के अंतर्गत जो भी सूचना भारतीय संसद या राज्यों की विधान सभाओं को मना नहीं जा सकता है, उसे सूचना-मांगने वाले आवेदक को नहीं दी जायेगी।

[Sec. 4 (3) R.T.I. Act.]

.....
.....
.....
.....
.....
.....

सूचना सूचनाधिकारी अधिनियम-2005 की प्रस्तावना एवं प्रथम अध्याय का संदर्भ लेने का कष्ट करें, इस अधिनियम का उद्देश्य है, सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना उसके कार्यकरण को उत्तरदायी बनाने एवं अष्टाचार का निवारण करना।

सतत क्रम में अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत मुझे आपके विभाग से निम्नलिखित बिन्दुओं पर (कुल संख्या: अनिश्चित) सक्षम सूचनाओं की आवश्यकता है।

सूचना सूचनाओं के साथ-साथ आप अपने विभागाध्यक्ष एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी (जन सूचना) का नाम, पूरा पता एवं संपर्क नम्बर लिखित रूप से कक्ष करें।

आपकी गई सूचनाओं/प्रश्नों के उत्तर धारा -7 (b) के अन्तर्गत 3 कार्यों के निम्न फॉर्मट में ही निर्गत करने की कृपा करें।

सूचना	कृतकार्यवाही / सूचनाधिकारी / डीम्ड सूचनाधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर अंकित करने हेतु
<p>सूचना सूचनाधिकारी अधिनियम-2005 की प्रस्तावना एवं प्रथम अध्याय का संदर्भ लेने का कष्ट करें, इस अधिनियम का उद्देश्य है, सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना उसके कार्यकरण को उत्तरदायी बनाने एवं अष्टाचार का निवारण करना।</p> <p>सतत क्रम में अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत मुझे आपके विभाग से निम्नलिखित बिन्दुओं पर (कुल संख्या: अनिश्चित) सक्षम सूचनाओं की आवश्यकता है।</p> <p>सूचना सूचनाओं के साथ-साथ आप अपने विभागाध्यक्ष एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी (जन सूचना) का नाम, पूरा पता एवं संपर्क नम्बर लिखित रूप से कक्ष करें।</p> <p>आपकी गई सूचनाओं/प्रश्नों के उत्तर धारा -7 (b) के अन्तर्गत 3 कार्यों के निम्न फॉर्मट में ही निर्गत करने की कृपा करें।</p> <p>प्रस्तावित</p> <p>आपकी सूचना के बाद तिलने दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी</p> <p>जानता अनिताजी</p> <p>सूचना सूचनाधिकारी अधिनियम-2005 की प्रस्तावना एवं प्रथम अध्याय का संदर्भ लेने का कष्ट करें, इस अधिनियम का उद्देश्य है, सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना उसके कार्यकरण को उत्तरदायी बनाने एवं अष्टाचार का निवारण करना।</p>	

भवदीय
सूचनाधिकारी